निरीक्षण आख्या **कार्यालय उपजिलाधिकारी, जोशीमठ** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय उपजिलाधिकारी, जोशीमठ के अवधि **05/2012** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सूर्य पाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **17.10.2016** से **20.10.2016** तक सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान में माह **05/2012** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री मोहन सिंह बर्निया	उपजिलाधिकारी	15.10.2011	06.06.2012
2.	श्री अनूप कुमार नौटियाल	उपजिलाधिकारी	07.06.2012	22.08.2013
3.	श्री ए.पी. बाजपेयी	उपजिलाधिकारी	23.08.2013	04.03.2014
4.	श्री अनूप कुमार नौटियाल	उपजिलाधिकारी	04.03.2014	29.05.2015
5.	श्री कृष्णनाथ गोस्वामी	उपजिलाधिकारी	29.05.2015	28.07.2015
6.	श्री मंगेश घिल्डियाल	संयुक्त मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी	07.08.2015	09.10.2015
7.	श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	22.10.2015	15.07.2016
8.	श्री योगेन्द्र सिंह	उपजिलाधिकारी	15.07.2016	वर्तमान तक
9.				

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा

(2) सतत अनियमितताये:- **शून्य**

(3) अप्रस्तुत अभिलेख :- **शून्य**

4. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	-	-	86.36	75.94
2013-14	-	-	97.72	91.99
2014-15	-	-	120.65	105.05
2015-16	-	-	146.57	131.93
2016-17 (09/2016)	-	-	171.13	76.56

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 ` 1.93 करोड़ के राजस्व की हानि।

उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम - 1950 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया) में यह व्यवस्था दी गयी है कि विविध राजकीय देय एवं विविध अर्द्धशासकीय राजकीय देय कलेक्टर के माध्यम से वसूली के लिये तब भेजे जाते हैं, जबकि उनके विभाग द्वारा वसूली सम्भव नहीं हो पाती। ऐसी वसूलियों के लिये विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र भेजे जाते हैं। अर्द्धशासकीय राजकीय देयों की वसूली में बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत संग्रह व्यय राजस्व विभाग सम्मिलित कर वसूली सुनिश्चित करता है।

कार्यालय के वसूली प्रमाण पत्र सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 16.03.2016 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जय प्रकाश पावर वैंचर्स लि0 जोशीमठ के विरूद्ध निम्नलिखित 3 वसूली प्रमाण पत्र तहसील जोशीमठ को दी गयी।

1- **वसूली प्रपत्र सं0-2/1960 दि.16.03.2016**
   विद्युत देय ` 139140490
   संग्रह व्यय ` 13914049
2- **वसूली प्रपत्र सं0-2/1958 दि.16.03.2016**
   विद्युत देय ` 106148764
   संग्रह व्यय ` 10614876.40
3- **वसूली प्रपत्र सं0-2/1969 दि.16.03.2016**
   विद्युत देय ` 44244857
   संग्रह व्यय ` 4424485

इसी क्रम में तहसीलदार जोशीमठ द्वारा दिनांक 09.04.2016 को वसूली के लिये जय प्रकाश पावर वैंचर्स जोशीमठ को नोट जारी किया गया, जिसके उपरान्त जय प्रकाश पावर वैंचर्स न्यायालय की शरण में गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2016 को जय प्रकाश पावर वैंचर्स को ` 19.29 करोड़ उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 को देना निर्देशित किया गया।

दिनांक 31.05.2016, 15.06.2016 तथा 02.07.2016 को जय प्रकाश वैन्चर्स जोशीमठ द्वारा ` 5 करोड, ` 10 करोड़ तथा ` 4.29 करोड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को दे दिया गया (कुल 19.29 करोड)।

परिषादेश संख्या- 3870-3924/दो संग्रह-16 सी दिनांक 04.02.1976 में उल्लिखित है कि वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा उसमें निहित बकाया धनराशि बकायादार से सीधे प्राप्त कर लेता है तो वसूली का व्यय राजस्व विभाग को निश्चित प्रमाण में उस धनराशि पर भी देय होगा जो प्रशासकीय विभाग से सीधे वसूल कर लेते है। चूंकि कलेक्टरेट मशीनरी का लगातार उपयोग वसूली के लिये किया गया अतः संग्रह व्यय की धनराशि तहसील द्वारा वसूल की जानी चाहिये थी तथा जब **जय प्रकाश पावर वैन्चर्स** के नाम वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका था तब उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को सीधी वसूली सम्बन्धित फर्म से स्वयं नहीं करनी चाहिये थी, जो नियमों का उल्लंघन है। अतः तहसील जोशीमठ द्वारा 10 प्रतिशत संग्रह व्यय ` 1.93 करोड़ वसूला जाना चाहिये था जो नहीं वसूला जा सका।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ` 19.29 करोड़ प्राप्त हुये 4 माह व्यतीत हो चुके है।

उत्तर के आलोक में प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 ₹ 8.00 लाख की धनराशि आपदा प्रभावितों को वितरित न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, जोशीमठ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक बजट आवंटित किये गये जोकि आपदा प्रभावितों को वितरित किया जाना था परन्तु विभागीय शिथिलता के कारण धनराशियां अवितरित रह गयी, जिसका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित बजट	अवशेष धनराशि
2012-13 तक	620950	0
2013-14 तक	105380000	8598496
2014-15 तक	36200000	7453896
2015-16 तक	20545240	2064580
2016-17 (09/2016 तक)	3000000	1790200

चूँकि वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि जिलाधिकारी कार्यालय को समर्पित की जानी चाहिए। वर्ष 2014-15 में ₹ 7453896 की अवशेष धनराशि जिलाधिकारी कार्यालय चमोली को समर्पित नहीं की गयी।

वर्ष 2016-17 में दिनांक 11.09.2016 को कर्नल सुदीप गुप्ता तथा श्रीमती शीतला देवी पत्नी सुदीप गुप्ता, लैंसडाउन की मृत्यु बद्रीनाथ मार्ग पर चट्टान गिरने से हो गयी थी। विभाग द्वारा प्रभावित परिवार को ₹ 4.00 लाख प्रति व्यक्ति कुल ₹ 8.00 लाख देना स्वीकृत किया गया लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक धनराशि प्रभावित परिवार को नहीं दी गयी।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि जल्द ही प्रभावित परिवार को स्वीकृत धनराशि दे दी जायेगी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर-3 ₹ 235.22 लाख के बजट व्यय का रोकड़बही न बनाया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड़-v एवं vi में उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय एवं संस्था को कार्यालयी प्राप्त बजट एवं व्यय के संव्यवहार का रखरखाव रोकड़बही में किया जाना अपेक्षित है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, जोशीमठ के जिला अधिष्ठान अनुभाग (2029) द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 (09/2016 तक) के रोकड़ बही, वेतन भत्तों तथा बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 05/2012 से 09/2016 बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया-

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	**-**	**-**	**4227600**	**3952547**
2013-14	**-**	**-**	**4906000**	**4868016**
2014-15	**-**	**-**	**5181000**	**4689687**
2015-16	**-**	**-**	**6655000**	**6368201**
2016-17 (09/2016 तक)	**-**	**-**	**8415000**	**3643977**
योग			**29384600**	**23522428**

अग्रेतर (2029-जिला अधिष्ठान की) रोकड़बही की जांच में वर्ष 2012-13 से 2016-17 (09/2016 तक) कुल ₹23522428 के व्यय हेतु रोकड़बही नहीं बनाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य हेतु नोट किया गया एवं रोकड़बही बनाकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यालय/संस्था द्वारा कार्यालयी बजट एवं संव्यवहारों का रखरखाव रोकड़बही में न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-1 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 2.44 लाख तथा संग्रह प्रभार की धनराशि ₹ 24442 की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, जोशीमठ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 2.44 लाख तथा संग्रह प्रभार की धनराशि ₹ 24442 अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	**आरकी वसूली हेतु अवशेष धनराशि .सी.**	**आर. सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि पर संग्रह प्रभार की अवशेष धनराशि**
2012-13 तक	220460	22046
2013-14 तक	196021	19602
2014-15 तक	70239	7023
2015-16 तक	**244424**	**24442**
2016-17 (09/2016 तक)	3205249	320524

चूँकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पन्न कर ली जायेगी तथा महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 अविवेकपूर्ण प्राक्कलन के कारण ₹ 4.04 लाख समपर्ण।

बजट मैनुअल के पैरा-16 के अनुसार प्राक्कलन तैयार करते समय संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर काफी सावधानी बरतनी चाहिए एवं सभी मदों पर होने वाले व्ययों हेतु समग्र विचार के उपरान्त बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, जोशीमठ के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक विभिन्न मदों में आवंटन व्यय तथा समर्पण धनराशियों की बजट मैनुअल के परिपेक्ष्य में जांच की गयी। जांच में विभिन्न मदों में आबंटन-व्यय में निम्न तथ्य प्रकाश में आये। विवरण निम्नवत् हैं-

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	लेखाशीर्ष	मद संख्या व मद	आबंटित राशि	व्यय	समर्पण
2012-13	2053-093	-	275053	00	275053
2013-14	2029-103	04-यात्रा व्यय	55000	23830	31170
2013-14	2029-103	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी	5000	0	5000
2013-14	2029-001	04-यात्रा व्यय	4000	0	4000
2013-14	2029-001	09-विधुत देय	5000	0	5000
2013-14	2029-001	10- जलकर/जलप्रभार	2500	0	2500
2014-15	2029-001	04-यात्रा व्यय	5000	0	5000
2014-15	2029-001	09-विधुत देय	5000	0	5000
2014-15	2029-001	10- जलकर/जलप्रभार	2500	0	2500
2014-15	2029-103	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	10000	0	10000
2014-15	2053-093	13-टेलीफोन पर व्यय	25000	9673	15327
2015-16	2053-093	13-टेलीफोन पर व्यय	25000	7266	17734
2015-16	2029-101	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी	2000	0	2000
2015-16	2029-103	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	10000	0	10000
2015-16	2029-001	11-लेखन सामग्री	5000	0	5000
2015-16	2029-001	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4000	0	4000
2015-16	2029-001	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	5000	0	5000
योग			**445053**	**40769**	**404284**

लेखाशीर्ष 2029-001 के 09-'विधुत देय', 10-'जलकर/जलप्रभार' एवं 15-'गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल' मद में निरंतर समर्पण होने के बावजूद बजट प्राक्कलन करते समय इस पर ध्यान न देने के कारण लेखापरीक्षा अवधि में उपर वर्णित मदों में 445053 के आबंटन के सापेक्ष 404284 (90.84%) का समर्पण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में बजट प्राक्कलन के समय ध्यान दिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **कार्यालय उपजिलाधिकारी, जोशीमठ** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र